रेल मंत्रालय
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

वडोदरा एवं रेवाड़ी के मध्य समर्पित मालभाड़ा कारीडोर परियोजना का पश्चिमी कारीडोर
पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्याकंन का संक्षेप
अगस्त 2009

यह भारत में समर्पित मालभाड़ा कारीडोर (डी.एफ.सी.) परियोजना के पश्चिमी कारीडोर के रेवाड़ी से वडोदरा के मध्य प्रथम प्राथमिकता अनुभाग का पर्यावरणीय एवं समाजिक विवेचन का संक्षेप है। जो कि रेल मंत्रालय द्वारा अगस्त 2009 में स्वीकृत अन्तिम पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्यांकन रिर्पोट पर आधारित है। यह संक्षेप परियोजना के सूचना प्रकटीकरण प्रक्रिया के तहत जन समुदाय में उत्तरदायी निकायों द्वारा वितरित होना है, जिसके लिए रेल मंत्रालय समुचित मंत्रालय एवं डी.एफ.सी.सी.आई.एल. परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी है।

परियोजना की मुख्यताऐं

रेल मंत्रालय दिल्ली और मुम्बई महानगरों एवं इनके आसपास के स्थानों के मध्य माल के अतिशीघ्र एवं अबाधित आवागमन हेतू कम्प्यूटरिकृत समर्पित मालभाड़ा कारीडोर परियोजना को मूर्तरुप देने जा रहा है। जिससे माल बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य स्थान तक कम समय एवं न्यूनतम परिवहन लागत मे पहुँच सके।

डी.एफ.सी. परियोजना का उद्देश्य भारत की वर्तमान आर्थिक उन्नति के पथ को सुदृढ़ करना है। वर्ष 2013–2014 तक इस परियोजना द्वारा 37.7 मिलियन टन माल का परिवहन हो सकेगा। परियोजना के निर्माण से आर्थिक उन्नति एवं रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होगें। इन सबसे ऊपर, राष्ट्र में प्रान्तों के मध्य आर्थिक विनिमय एवं प्रमुख व्यापार केन्द्रों में परस्पर सुधार होगा।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन डी.एफ.सी.सी.आई.एल. इस परियोजना के विकास की क्रियान्वयन संस्था है। डी.एफ.सी. परियोजना का पश्चिमी कारीडोर का वडोदरा से रेवाड़ी के मध्य का भाग हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात राज्य के 17 जिलों के 447 गॉवों से होकर गुजरता है। जिसकी लम्बाई करीब 920 कि.मी. है।

परियोजना अभी नियोजन अवस्था मे है। वर्ष 2009 के अन्त से लगभग 2 वर्ष तक परियोजना का विस्तृत प्रारुप कार्य किया जायेगा। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2011 से आरम्भ होगा एवं 4–5 वर्ष में पूर्ण होगा।

राज्य / जिले
गुजरात
वडोदरा
आंनद
खेड़ा
अहमदाबाद
गॉधीनगर
महेसाणा
पाटन
बनासकांठा
राजस्थान
सिरोही
पाली
अजमेर
नागौर
जयपुर
सीकर
अलवर
हरियाणा
महेन्द्रगढ़
रेवाड़ी

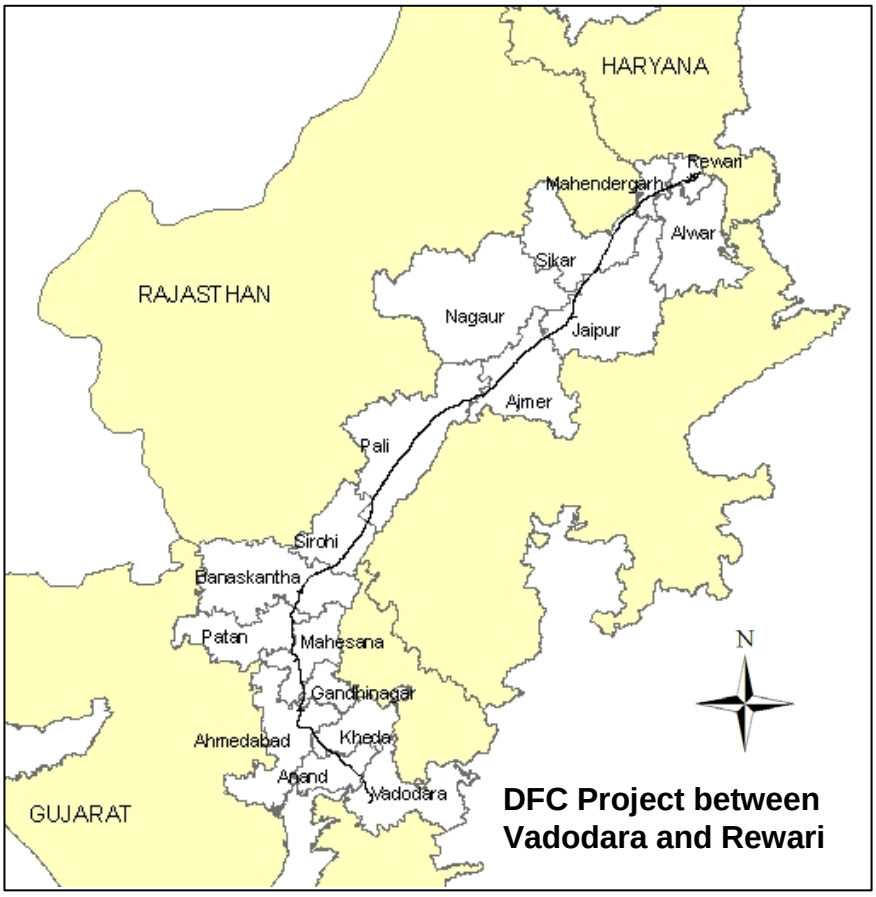

प्रस्तावित DFC रेलमार्ग एवं संलग्न सुविधाऐं

समर्पित मालभाड़ा कारीडोर परियोजना का पश्चिमी कारीडोर वडोदरा–अहमदाबाद–पालनपुर–रेवाड़ी से गुजरता हुआ दो तरफा रेलमार्ग होगा। यह प्रस्तावित मार्ग गुजरात, राजस्थान एवं हरियाणा राज्य से होकर गुजरता है। परियोजना का मार्ग मुख्यतः भारतीय रेल विभाग की भूमि पर वर्तमान रेल मार्ग के समान्तर नियोजित किया गया है। जबकि कुछ स्थानो पर वर्तमान रेल लाईन के समान्तर पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण तथा जहां तक सम्भव हो पुनर्वास से बचाने हेतू बाईपास का प्रावधान रखा गया है। बाईपास मार्ग की योजना बनाते समय स्थानीय समुदाय, जीव अभ्यारण, शहरी योजना क्षेत्र, मार्बल उद्योग, आबादी क्षेत्रों, खदान आदि को बचाने का ध्यान रखा गया, ताकि प्रतिकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को यथा सम्भव कम किया जा सके।

परियोजना हेतू पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन

भारतीय कानून व नियमों में रेल परियोजनाओं हेतू पर्यावरणीय प्रभावों के मुल्यांकन करने का कोई प्रावधान नही है। चूंकि डी.एफ.सी. परियोजना वृहत परियोजना है जिससे विपरीत पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों की सम्भावना है, जैसे ध्वनि प्रदुषण तथा अनैच्छिक पुनर्वास। अतः परियोजना की योजना अवधि से ही पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्याकंन रिर्पोट

ESIMMS

\+ वर्ष 2007 में जे.आई.सी.ए. मार्गदर्शिका के अनुरुप बनायी गयी रिर्पोट

S-ESIMMS

वर्ष 2008/9 में जे.आई.सी.ए. सेप्रोफ अध्ययन के अनरुप बनायी गयी रिर्पोट

इस संदर्भ में रेल मंत्रालय/डी.एफ.सी.सी.आई.एल. ने जापान इन्टरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) के तकनीकी सहयोग से डी.एफ.सी. परियोजना के पश्चिमी कारीडोर की ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्याकंन (ई.आई.ए.) रिर्पोट तैयार किया है, जो कि जे.आइ.सी.ए. (JICA) अध्ययन रिर्पोट 2007 (ESIMMS[1]) एवं जे.आइ.सी.ए.–सेप्रोफ (SAPROF[3]) अध्ययन रिर्पोट 2008–09 (S-ESIMMS[2]) का सम्मिलित रुप है।

पेड़ पौधो का सर्वेक्षण

पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्याकंन (ई.आई.ए.) रिर्पोट तीनों प्रदेशों की ESIMMS रिर्पोट एवं S-ESIMMS रिर्पोट का मिश्रित रुप है, जो पूरे परियोजना प्रभावित क्षेत्र का वर्णन करता है।

दोनों ESIMMS एवं S-ESIMMS रिर्पोट, परियोजना से उत्पन्न प्रभावों, परियोजना क्षेत्र की सामाजिक एवं भौतिक अवस्थाऐं, प्रदुषण नियंत्रण एवं सामाजिक विषयों पर आधारित है। S-ESIMMS रिर्पोट में अध्ययन किए गये प्रमुख विषयों में रेल द्वारा उत्पन्न ध्वनि एवं कम्पन का पुर्वानुमान तथा संवेदनशील अभिग्राहकों पर ध्वनि एवं कम्पन का प्रभाव, भूमि उपयोग सर्वेक्षण, प्रस्तावित रेल मार्ग के निकट संरक्षित क्षेत्रों एवं प्रमुख नदियों के प्रत्येक मौसम के आंकड़ों का संकलन तथा विस्तृत विश्लेषण, स्थानान्तरित होने वाले ढाचों का सर्वेक्षण एवं तदोपरान्त सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आदि विषय सम्मलित हैं। इसके अतिरिक्त जे.आइ.सी.ए. (JICA) अध्ययन के बाद स्थानान्तरित हुए रेलमार्ग से नवप्रभावित क्षेत्रों का पूरक सर्वेक्षण भी सम्मलित है।

रेल द्वारा उत्पन्न ध्वनि एवं कम्पन मात्रा का सर्वेक्षण

[1] ESIMMS: जे.आई.सी.ए. की 'पर्यावरणीय एवं सामाजिक निमित्त 2004 मार्गदर्शिका' के अनुसार बनाये गये पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों का मुल्याकंन रिर्पोट

[2] S-ESIMMS: जे.आई.सी.ए. की 'पर्यावरणीय एवं सामाजिक निमित्त 2004 मार्गदर्शिका' के अनुसार बनाये गये पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों का मुल्याकंन की पूरक रिर्पोट

[3] SAPROF स्पेशल असिस्टेन्स फॉर प्रोजेक्ट फॉरमेशन

संभावित प्रभाव एवं निराकरण के उपाय

सर्वेक्षणों में अनेक प्रतिकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों का पता चला है। इन विपरित प्रभावों को न्यूनतम करने के सुझाव प्रस्तावित किये गये हैं। प्रमुख पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभावों के निराकरण के सुझाव नीचे दिऐ गये हैं।

प्रभावों एवं निराकरण के उपायों की तालिका

संभावित प्रभाव	निराकरण के उपाय
वायु गुणवत्ता	
निर्माणावधि धूल के सूक्ष्म कणों, निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपकरणों एवं वाहनो द्वारा वायु प्रदुषण	➔ निर्माण कार्य में प्रयुक्त माल को बन्द स्थानो अथवा ढके गोदामों में रखने की व्यवस्था ➔ ढुलाई वाले वाहनो से मिट्टी, पत्थर आदि छलकने से बचाव ➔ निर्माण क्षेत्र की कच्ची सड़कों एवं अन्य स्थानो पर धूल उड़ने से बचाव के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था ➔ कम धुआँ उत्पन्न करने वाले उपकरणों, जनरेटरों एवं परिवहन के साधनो का प्रयोग
ध्वनि एवं कम्पन्न स्तर	
निर्माणावधि निर्माण कार्य में प्रयुक्त हल्की तथा भारी मशीनों व वाहनों द्वारा ध्वनि एवं कम्पन	➔ न्यूनतम ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग ➔ आवासीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य दिन के समय ही करने का प्रयास होगा ➔ अतिध्वनित स्थानों पर श्रर्मिकों को ध्वनि बचाव उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था
संचालन अवधि ट्रेनों तथा अन्य सम्बन्धित वाहनों के आवागमन से उत्पन्न ध्वनि एवं कम्पन	➔ न्यूनतम ध्वनि एवं कम्पन पैदा करने वाली तकनीक का प्रयोग ➔ जुड़ी हुई लम्बी पटरीयों का प्रयोग ➔ रेलगाड़ी, पटरी एवं ईमारतों का सही रखरखाव
जल गुणवत्ता	
निर्माणावधि • निर्माण कार्य के दौरान घुली गंदगी युक्त दूषित जल • श्रमिक शिविरों से उत्पन्न दूषित जल एवं निर्माण क्षेत्रों से उत्पन कीचड़ इत्यादि	➔ जल क्षेत्रों के निकट गाद निरोधक आड़ का प्रावधान ➔ अवसाद अलग कर गुणवत्ता नियंत्रित करने के पश्चात निर्माण क्षेत्र से उत्पन्न दूषित जल का निकास का प्रावधान ➔ दूषित जल से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम हेतू पर्याप्त आरोग्यकर सुविधाओं का प्रावधान
संचालन अवधि रेल डिपो, रेलगाड़ियों की धुलाई एवं कारखाने की रखरखाव क्रियाओं द्वारा उत्पन्न दूषित जल	➔ जल शोधन संयत्र द्वारा दूषित जल से घुलनशील पदार्थ, तेल एवं चिकनाई, कार्बनिक पदार्थ एवं जहरीले तत्व दूर कर एवं अम्लता उदासीन कर उपचारित जल का पुनः उपयोग
स्थलाकृति एवं भूगर्भ विज्ञान	
निर्माणावधि • पेड़ों की कटाई, जमींन की खुदाई, जमींन का भराव एवं निर्माण कार्य द्वारा स्थलाकृति बदलाव • गर्त खुदाई से स्थलाकृति का विकृत होना	➔ स्थलाकृति के विकृत होने से बचाव के लिए प्रयोजित गर्त एवं खदान का उपयोग ➔ अनियंत्रित गर्त खुदाई से बचाव, ताकि त्यागे गये गर्तों में एकत्रित जल संक्रामक रोग कारकों के प्रजनन का स्थान ना बन सके ➔ निर्माण सामग्री का केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित खाईयों से दोहन
मृदा	
निर्माणावधि • मिट्टी दोहन गर्तों एवं बाईपास अनुभाग के विकास के कारण उपरी उपजाऊ मृदा की हानि	➔ तटबन्धों के निर्माण में मृदा श्रोतों को बचाने हेतू तापीय संयत्रो से निकली राख का प्रयोग (यदि तकनिकी रूप से अनूकुल एवं 100 किमी मे उपलब्ध हो) ➔ पर्याप्त जल निकास व्यवस्था, तटबन्ध दृढीकरण एवं ढलान स्थिरीकरण जैसे

संभावित प्रभाव	निराकरण के उपाय
• खुदाई के कारण उपरी मृदा का ढीला होना एवं वनस्पतिय आच्छादन की हानि • मृदा गुणवत्ता की अवनति	उपाय ➔ मृदा दोहन गर्तों वाले स्थानों की उपरी मृदा का बचाव तथा पुनर्वीकरण ➔ दुर्घटनाओं से होने वाले रिसाव से बचाव ➔ निर्माण कार्य से उत्पन्न कीचड़ का पर्याप्त निपटान
जल विज्ञान सम्बन्धि दशाऐं	
निर्माणावधि • तटबन्ध निर्माण से प्राकृतिक जल निकास में बाधा के कारण बाढ़ के संयोग एवं उसकी अवधि में वृद्धि	➔ रेल मार्ग के साथ–साथ पर्याप्त नालियों का प्रावधान ➔ वर्तमान जल निकास नालियों की क्षमता में वृद्धि ➔ बाढ़ एवं जल भराव से बचाव हेतू पर्याप्त जल निकास का प्रावधान
संचालन अवधि • तटबन्ध निर्माण के कारण स्थानीय जल निकास पर प्रभाव	➔ वर्धित अपवाह के समायोजन हेतू रेल मार्ग के दोनों ओर पर्याप्त क्षमता की रेल मार्ग के समान्तर नालियों का प्रावधान
वनस्पति	
निर्माणावधि • परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर पेड़ों के कटान से वनस्पति का नुकसान	➔ काटे गये पेड़ों की दुगनी संख्या में क्षतिपूरक वृक्षारोपण ➔ वन क्षेत्रों एवं निजी भूमि स्थित काटे गये वृक्षों की क्षति पूर्ति एवं अधिग्रहित वन्य भूमि हेतू क्षति पूर्ति
• निकटस्थ वृक्षादि की पत्तियों पर धूल का जमाव	➔ फूल वाली झाड़ियों एवं सदाबहार वृक्षों युक्त मिश्रित पौधारोपण ➔ प्रस्तावित रेल मार्ग के दोनों ओर उपलब्ध स्थानों पर पट्टीदार वृक्षारोपण ➔ ईधन के लिए श्रमिकों द्वारा वृक्षों की कटाई की रोकथाम हेतू ईधन का प्रावधान
वन भूमि परिवर्तन	
पूर्व निर्माणावधि • प्रस्तावित रेल मार्ग का कुछ स्थानों पर आरक्षित वन क्षेत्रों से गुजरना	➔ क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत एवं वन भूमि के परिर्वतन की वन विभाग को क्षतिपूर्ति ➔ आरक्षित वन क्षेत्र में किसी क्रिया कलाप से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायेगी
जीव–जन्तु	
पूर्व निर्माणावधि • महेसाणा जिले में डी.एफ.सी. रेल मार्ग (बाईपास अनुभाग) के पश्चिम में थोल वन्य जीव (पक्षी) अभ्यारण	➔ अभ्यारण की 3 कि.मी. परिधी में निर्माण कार्य विशेष सावधानी पूर्वक एवं कानून अनुसार किया जायेगा ताकि अभ्यारण में न्यूनतम विघ्न हो
निर्माणावधि • निर्माण कार्य में प्रयुक्त यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आरक्षित वनों एवं थोल वन्यजीव अभ्यारण के पक्षियों का प्रभावित होना • मही, विश्वामित्री एवं वत्रक नदियों पर पुल निर्माण के समय मृदुकाय कछुआ एवं मुग्गर मगरमच्छ के आवास की अल्पकालिक क्षति	➔ निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपकरण एवं वाहनों का पर्याप्त रखरखाव एवं व्यर्थ उपयोग से बचाव, ताकि स्वीकृत मात्रा में ही ध्वनि उत्पन्न हो ➔ पुलों का निर्माण कार्य शुष्क मौसम में किया जाऐगा, यदि लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास पर प्रभाव ना पड़े तो वर्षाकाल में भी कार्य किया जा सकता है ➔ निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सीमाओं पर आड़ लगाने का प्रावधान
संचालन अवधि • बनासकांठा जिले में आरक्षित वन्य भूमि के अधिग्रहण से वन्यजीवों का आवागमन प्रभावित होना	➔ वृक्षों के कटान से नष्ट हुए वन्य जीव आवासों की क्षतिपूर्ति हेतू पौधारोपण
• जल क्षेत्रों में तेल एवं जहरीले रसायनों के रिसाव से जलीय जीवों पर प्रभाव • रेल मार्ग के आरपार वन्य जीवों के	➔ तेल, ईंधन एवं जहरीले तत्वों का दुर्घटना से हुऐ रिसाव के समय तत्काल सफाई की व्यवस्था ➔ वन्य क्षेत्रों के पास रेल मार्ग के नीचे से पशुओं के आवागमन की व्यवस्था का

संभावित प्रभाव	निराकरण के उपाय
आवागमन में बाधा • वन्य जीवों की रेलगाड़ियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना	प्रावधान ➔ दुर्घटनाओं को टालने के लिए वन्यजीवों की अधिकता वाले स्थानों पर आवश्यकतानुसार आड़ लगाने का प्रावधान
भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास	
पूर्व निर्माणावधि सम्पत्ति एवं जीविका की हानि	➔ पर्यावरणीय प्रभावों के मुल्याकंन के अलावा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति एवं सहायता की योजना बनाई जाऐगी
निर्माणावधि पैदल यात्रियों एवं वाहन के आवागमन में बाधा	➔ बाईपास का प्रावधान एवं उपयुक्त जगहों पर सूचना एवं दिशा र्निदेशक बोर्ड़
संचालन अवधि डी.एफ.सी. के तटबन्ध निर्माण के कारण स्थानीय लोगों एवं किसानों के आवागमन में बाधा	➔ नीति एवं आवश्यकतानुसार रेल–सड़क क्रॉसिंग पर या तो रेल के निचे से (RUB) अथवा रेल के ऊपर (ROB) से सड़क का प्रावधान ➔ वर्तमान सड़क एवं प्रस्तावित RUB/ ROB/रेल–सड़क क्रॉसिंग स्थानीय लोगों की आवश्यकताऐं पूरी करेंगे ➔ बाईपास अनुभाग में रेलमार्ग के निचे से सड़क एवं रेल–सड़क क्रॉसिंग वर्तमान सड़क नेटवर्क के अनुसार होगा ➔ भारतीय रेल के वर्तमान चलन के अनुसार RUB तथा ROB में सड़क के दोनो ओर पैदलपथ (फुटपाथ) का प्रावधान

नोट : प्रमुख प्रभाव एवं निराकरण के उपाय तालिका मे दिऐ गये हैं। अन्य प्रभाव एवं उपाय पर्यावरण के प्रभावों का मुल्याकंन रिर्पोट में दिए गये हैं।

पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना

पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण की कुंजी है। पर्यावरण प्रबन्ध योजना एवं इसके पर्याप्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए बिना सुझाए गये निराकरण के उपायों का वान्छित नतीजा मिलना सम्भव नही है।

पर्यावरण प्रबन्ध योजना, निर्माण पूर्व अवस्था, निर्माण अवस्था एवं क्रियान्वयन अवस्था के समय परियोजना क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए सुझाऐ गये उपायों के क्रियान्वयन की योजना बताता है। पर्यावरण प्रबन्ध योजना निम्न बिन्दुओं पर आधारित होती है।

1) निम्नलिखित विशिष्ट पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाऐं प्रस्तावित है –
   - क) हरित पट्टी विकास योजना
   - ख) अपशिष्ट प्रबन्ध योजना
   - ग) खाईयों एवं मृदा आपूर्ति वाले क्षेत्रों के प्रबन्ध/पुनर्वास योजना
   - घ) श्रमिक शिविरों की स्वच्छता एवं रखरखाव की निर्देशिका
   - ड) हानिकारक रसायनों के भण्डारण, रखरखाव एवं आपातकालीन उपायों के नियम
   - च) भू–अधिग्रहण एवं पुनर्वास (यह परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना का विषय है)

2) निम्न पर्यावरण एवं सामाजिक बिन्दुओं के लिऐ आवश्यकतानुसार पर्यावरण प्रबन्ध उपाय प्रस्तावित है –
   - क) पूर्व निर्माण अवस्था
     - भू–अधिग्रहण, वन भूमि के परिवर्तन, वृक्षों का संरक्षण, मृदा दोहन गर्तों, खाईयों का बचाव, अवान्छित सामाग्री के निपटान के लिए एवं श्रमिक शिविरों के लिए जगह का चुनाव, अल्पकालीन रेल यार्ड की व्यवस्था, क्रियान्वयन एजेन्सी एवं ठेकेदारों का अभिविन्यास
   - ख) निर्माण अवस्था
     - कार्य क्षेत्र की सफाई, निर्माण सामग्री का उपार्जन, निर्माण कार्य (जल निकास, ढलान स्थरिकरण आदि) जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि, श्रमिक शिविरों का प्रबन्धन, ठेकेदारों की कार्य समाप्ती
   - ग) क्रियान्वयन अवस्था
     - विभिन्न निराकरण के उपायों के सम्पादन की समीक्षा, प्रदूषण समीक्षा

पर्यावरण प्रबोधन

पर्यावरण प्रबोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के निर्धारित उद्देश्य एवं इच्छित परिणाम पा लिया गया है। पर्यावरण प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिऐ प्रभावशाली पर्यावरण प्रबोधन योजना तैयार करना जरुरी है। पर्यावरण प्रबोधन योजना दो तत्वों, कार्य सम्पादन सूचक एवं पर्यावरण प्रबोधन कार्यक्रम से मिलकर बना है।

कार्य सम्पादन सूचक

क) पूर्वनिर्माण अवस्था : भूमि अधिग्रहण, निस्तारण स्थान, निर्माण शिविर, मृदा दोहन गर्त
ख) निर्माण अवस्था : वायु गुणवत्ता, ध्वनि एवं कम्पन्न स्तर, जल गुणवत्ता, पौधारोपण, उपरी मृदा, श्रमिक
ग) क्रियान्वयन अवस्था : पौधों के जीवित रहने का अनुपात, मृदा दोहन गर्तों का पुनरोद्धार, संवेदनशील स्थानों पर ध्वनिरोधकों की उपयोगिता

पर्यावरणीय प्रबोधन कार्यक्रम

पर्यावरणीय प्रबोधन कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया जायेगा :–
क) प्रबोधन योग्य मद
ख) प्रबोधन का स्थान
ग) प्रबोधन की अवधि एवं तीव्रता
घ) क्रियान्वयन एवं निरीक्षण की संस्थानिक जिम्मेदारी

उपरोक्त विषयों के आधार पर पर्यावरणीय प्रबोधन कार्यक्रम में निम्न मदों का प्रबोधन किया जायेगा :–

क) वायु गुणवत्ता	ख) जल गुणवत्ता	ग) ध्वनि एवं कम्पन्न स्तर
घ) भूमि कटाव	ड) पौधारोपण	च) वनस्पति एवं जीवजन्तु

लोक संवाद बैठक

जन समुदाय तक परियोजना की जानकारी पहुँचाने एवं उनके विचार जानने के लिए जे.आइ.सी.ए. की आर्थिक सहायता से किए गये पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों एवं उपायों के अध्ययन के समय लोक संवाद बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जे.आइ.सी.ए. की आर्थिक सहायता से किए गये सेप्रोफ अध्ययन के समय डी.एफ.सी. रेलमार्ग में परिवर्तन के कारण नये प्रभावित गॉवों को ध्यान में रखते हुऐ जिलानुसार लोक संवाद बैठकों का आयोजन किया गया था। इन लोक संवाद बैठकों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुऐ जिन्हें परियोजना प्रारुप में सम्मलित किया गया है जैसे वाहनों, किसानों एवं स्थानीय लोगों के आवागमन हेतू तटबन्ध अनुभाग में पुलिया का प्रावधान। दूसरी तरफ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का प्रकटीकरण एवं परियोजना प्रभावित लोगों के भू–अधिग्रहण एवं पुनर्वास सम्बन्धित विचार जानने के लिए अलग से लोक संवाद बैठक का आयोजन किया जायेगा।

लोक संवाद बैठक

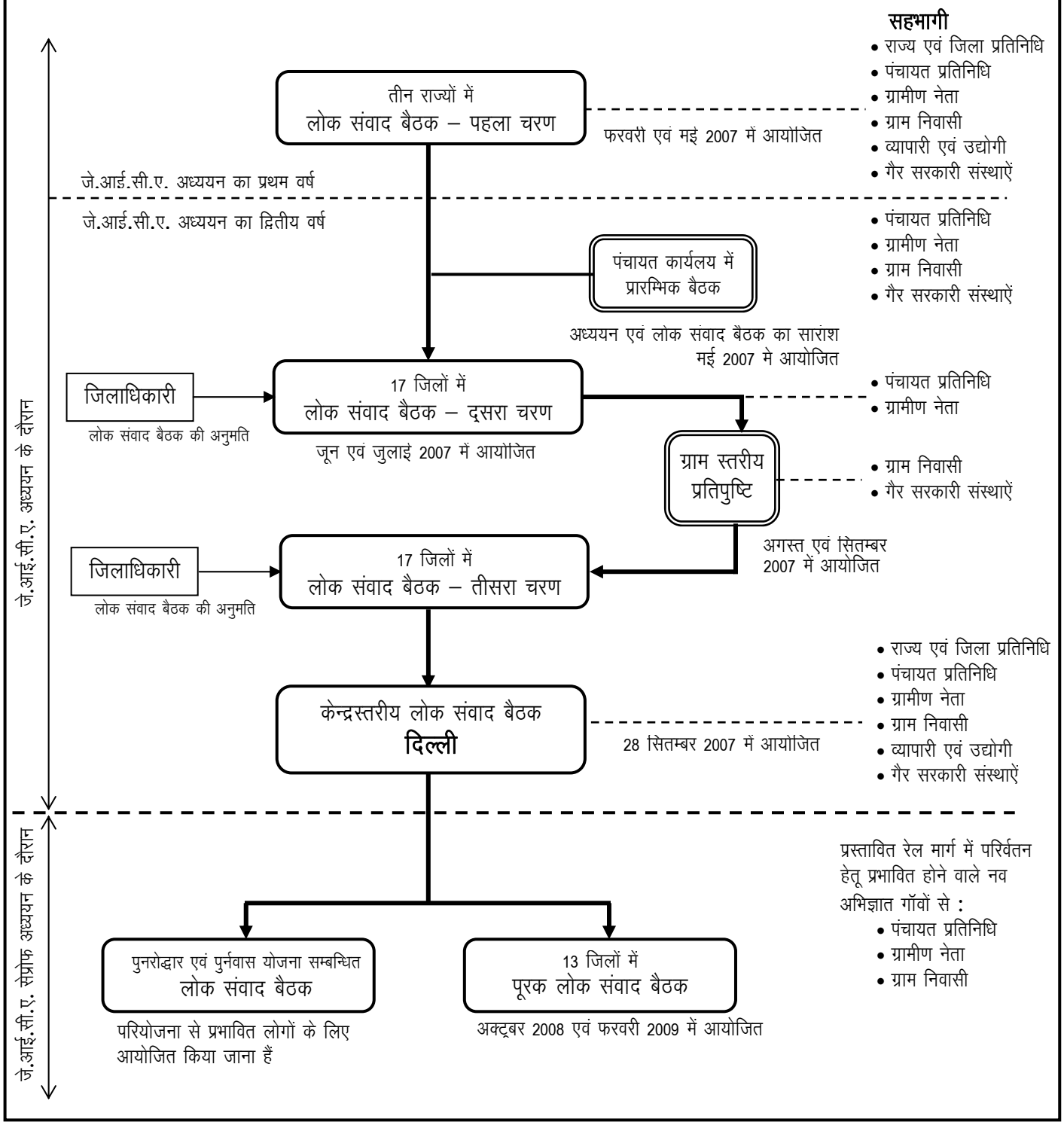

पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्याकंन प्रक्रिया में सूचना प्रकटन

परियोजना पर बनी पर्यावरणीय प्रभावों का मुल्याकंन रिर्पोट के सूचना प्रकटीकरण प्रक्रिया के तहत तीनों राज्यों की ESIMMS रिर्पोट एवं S-ESIMMS रिर्पोट का जोड़ा एवं उनके सारांश का प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में मार्च 2009 के मध्य से अप्रैल 2009 के मध्य तक जन प्रकटीकरण किया गया था।

इस सूचना प्रकटीकरण प्रक्रिया के दौरान जनता से लगभग 70 टिप्पणीयाँ प्राप्त हुई। इन टिप्पणीयों मे से किसी भी विशिष्ट टिप्पणी को रिर्पोट मे शामिल नही किया गया। ये टिप्पणीयां मुख्यतयाः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विषयों से सम्बन्धित हैं। हालाँकि इन टिप्पणीयोँ का घ्यान आगे के परिक्षणों में रखा जाऐगा एवं परियोजना के आगे की अवस्था मे निराकरण के उपाय एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध एवं प्रबोधन योजनाओं के क्रियान्वयन में रखा जाऐगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विषयों का घ्यान परियोजना के आगे की अवस्था मे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना बनाते एवं इसके क्रियान्वयन के समय रखा जाऐगा।

कार्यक्रम अनुसूची

- परियोजना परिरुप का आगे का अभियान्त्रिकी सम्बन्धित विचार विमर्श 2009 के अन्त से शुरु होकर लगभग 2 वर्ष तक चलेगा। पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों पर कार्य कर रहा दल निराकरण के उपाय एवं पर्यावरणीय प्रबन्ध एवं प्रबोधन की विस्तृत योजना तैयार करेगा। उपर्युक्त विषयों पर जनता से प्राप्त हुई टिप्पणीयों की जांच उन्ही विशिष्ट स्थानों पर होगी।
- निर्माण कार्य वर्ष 2011 के बाद शुरु होगा।
- वाणिज्यिक परिचालन 2015/2016 तक शुरु होगा।

रिर्पोट की उपलब्धता

राज्यानुसार ESIMMS रिर्पोट एवं अन्तिम S-ESIMMS रिर्पोट का जोड़ा जन साधारण की समीक्षा के लिए उन स्थानों पर उपलब्ध होगी जहॉ पर ड्राफ्ट रिर्पोट उपलब्ध कराई गयी थी। रिर्पोट, सम्बन्धित डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रस्तावित डी.एफ.सी रेल मार्ग के साथ प्रमुख रेल स्टेशन एवं सम्बन्धित जिला कार्यालय में अक्टूबर और नवम्बर 2009 में उपलब्ध होगी। अन्तिम रिर्पोट का सारांश सभी परियोजना प्रभावित गॉवों में उपलब्ध होगा।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक (डी.एफ.सी.सी.आई.एल.) कार्यालय का पता

- मुख्य परियोजना प्रबन्धक कार्यालय – **जयपुर**
  बी 12,हनुमान नगर, मेट्रो हॉस्पीटल के सामने, सिरसी रोड़ , जयपुर
  दूरभाष : 0141–4028741 फैक्स : 0141–4028740
- मुख्य परियोजना प्रबन्धक कार्यालय – **अजमेर**
  42A/3 सिविल लाईन, अजमेर–305001
  दूरभाष/फैक्स– 0145–2625548
- मुख्य परियोजना प्रबन्धक कार्यालय – **अहमदाबाद**
  पुरानी डी आर एम भवन, पहली मंजिल
  कालूपुर, अहमदाबाद –380002
  दूरभाष : 079–22175107 फैक्स–079-22163101
- मुख्य परियोजना प्रबन्धक कार्यालय – **वडोदरा**
  13–14, 17–18,पैनोरामा कॉम्पलेक्स, तीसरी मंजिल
  आर सी दत्त रोड़, अल्कापूरी बड़ोदरा –7
  दूरभाष : 0265–2326024, फैक्स–0265–2326027

प्रमुख स्टेशन जहॉ पर अन्तिम रिर्पोट उपलब्ध है

- **गुजरात**
  पालनपुर (जंक्शन), सिद्धपुर, ऊंझा, महेसाणा (जंक्शन), साबरमती (जंक्शन), अहमदाबाद (जंक्शन), नडियाद (जंक्शन), आन्नद (जंक्शन), वासड (जंक्शन) एवं वडोदरा (जंक्शन)
- **राजस्थान**
  अलवर (जंक्शन), कुण्ड, नींम का थाना, श्री माधोपुरा, रिंगस (जंक्शन), जयपुर (जंक्शन), फुलेरा (जंक्शन), किशनगढ़, अजमेर (जंक्शन), ब्यावर, सोजत रोड़, मारवाड़ (जंक्शन), फालना, सिरोही रोड़ एवं आबू रोड
- **हरियाणा**
  रेवाड़ी (जंक्शन), नारनौल एवं डाबला (जंक्शन)

।। परियोजना में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद ।।